GOVT TO REGULATE DIGITAL MEDIA

The government has started the process to propose changes to the Registration of Press and Periodicals Bill, 2019. The new bill will bring in a new registration regime for newspapers that will include the digital news media industry, according to media reports.

"If the bill is passed, digital news websites operating in India will come on par with newspapers, and they will have to register themselves with the Press Registrar General, equivalent to the prevalent Registrar of Newspapers in India," said one of the reports.

Digital news sites could face action for "violations", which includes cancelled registration or penalty.

Digital news publishers have to apply for registration and will be required to do so within 90 days of the law coming into effect.

This is the first time that the digital media in India will have regulations. If the bill is cleared, digital media will be regulated by the Ministry of Information and Broadcasting.

The Registration of Press and Periodicals Bill will replace the British-era Press and Registration of Books Act, 1867, which regulates newspapers and printing presses in India. ■

डिजिटल मीडिया को विनियमित करेगी सरकार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने प्रेस और पीरियोडिकल्स बिल, 2019 के पंजीकरण में बदलाव का प्रस्ताव देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नया बिल समाचार पत्रों के लिए एक नयी पंजीकरण व्यवस्था लायेगा जिसमें डिजिटल समाचार मीडिया उद्योग भी शामिल होगा।

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 'अगर बिल पास हो जाता है तो भारत में काम करने वाली डिजिटल न्यूज वेबसाइट अखबारों के बराबर आ जायेंगी और उन्हें प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास खुद को रजिस्टर कराना होगा, जो भारत में न्यूजपेपर्स के मौजूदा रजिस्ट्रार के बराबर है।'

डिजिटल समाचार साइटों को 'उल्लंघन' के लिए कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें रद्द पंजीकरण या जुर्माना शामिल है।

डिजिटल समाचार प्रकाशकों को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा और कानून लागू होने के 90 दिनों के भीतर ऐसा करना होगा।

यह पहली बार है जब भारत में डिजिटल मीडिया के नियम होंगे। यदि बिल को मंजूरी मिल जाती है तो डिजिटल मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जायेगा।

सत्यमेव जयते
Ministry of Information and Broadcasting

प्रेस और पीरियोडिकल्स का पंजीकरण विधेयक ब्रिटिश युग के प्रेस और पुस्तकों के पंजीकरण अधिनियम 1867 का स्थान लेगा, जो भारत में समाचार पत्रों और प्रिंटिंग प्रेस को नियंत्रित करता है। ■

INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY

... You Know What You are doing
But Nobody Else Does

ADVERTISE NOW !

Contact: Mob.: +91-7021850198 Tel.: +91-22-6216 5313 Email: scat.sales@nm-india.com